न्यायालय–सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ

सेशन प्रकरण संख्या 107/2024 सरकार बनाम कान्तिलाल वगैरा

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या–35/2026

ख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक–05.06.2026

वकील प्रार्थी श्री अमजद खां उपस्थित।

लोक अभियोजक श्री तरूणदास बैरागी उपस्थित।

(01) प्रार्थी डायालाल पिता सुरजमल, निवासी केशरफलां, मुंगाणा, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.) ने न्यायालय हाजा में लम्बित प्रकरण संख्या 107/2024 सरकार बनाम कान्तिलाल (संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 135/2024, थाना पारसोला) में जब्तशुदा मोटरसाईकिल हीरो CD Deluxe रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ–27/SL/2142 को सुपुर्दगी पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। नकल प्रार्थना पत्र लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र फौजदारी विविध दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(02) विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रकरण में अनुसंधान के दौरान उक्त वाहन को प्रार्थी से जब्त किया गया था, प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर पत्रावली साक्ष्य के प्रक्रम पर नियत है। पुलिस को उक्त वाहन की अब कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि वाहन की प्रार्थी को दैनिक जीवन में आवश्यकता है जिसके थाने में खुली अवस्था में पड़े रहने से खराब होने की सम्भावना है। अतः प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिया जावे। आवेदन के साथ प्रार्थी की ओर से वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी के चालक अनुज्ञा पत्र की प्रति पेश की गई। वाहन के बीमा के संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वाहन वर्तमान में बीमित नहीं है, अतः उक्त वाहन का 15 दिवस की अवधि में बीमा करवाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने बाबत निवेदन किया। विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

(03) मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। फर्द जब्ती के अनुसार अनुसंधान के दौरान उक्त वाहन प्रार्थी की सूचना के आधार पर जब्त करना बताया जाता है, जिसके पंजीयन प्रमाण पत्र तथा चालक अनुज्ञा पत्र की प्रति पेश की गई है तथा मूल चालक अनुज्ञा पत्र परिवहन विभाग में हैवी लाईसेंस के आवेदन हेतु प्रस्तुत किये जाने बाबत प्रार्थी की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया है। उक्त वाहन बाबत किसी अन्य द्वारा क्लेम नहीं किया है। जब्तशुदा वाहन को थाने में पड़े रखने की कोई आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर नतीजा न्यायालय के

05.6.26
सेशन न्यायाधीश
प्रतापगढ़ (राज.)